न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 45 / 2023 निर्णय दिनांक :– 15/01/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. खुशबु पुत्री शिवराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेमदेवी पत्नी रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राजाराम पुत्र रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. विष्णु पुत्र रामराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. शैतान पुत्र हरला जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सचिन पुत्र शिवराज जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शोभाग पुत्र हरला जाति मीणा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री सुनिल कुमार शर्मा तहसीलदार देवली

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 398 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। खातेदार रामी पत्नी शिवराज की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 व 7 है। प्रार्थी नियमानुसार

बनाम

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानु... फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:— उक्त आराज... आवेदक की खातेदारी में दर्ज है व कब्जेकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं है इसलिए अन्य पडोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक व सहखातेदार स्वयं की जानकारी के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए किसी अन्य खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिक्रमीत भूमि नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2072—2075</u> में अंकित खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 398 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.09 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली